पत्र सं0–12/वि0–5012/2016–सा0प्र0–

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः–अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/ विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी तथा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी विभागों/सभी जिलों एवं सभी अनुमंडलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है । उक्त पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी कौन होंगे और उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन किन–किन स्तर से की जायगी, के संबंध में विभागों/जिलों/अनुमंडलों से मार्गदर्शन हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ।

सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:–

1. **अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी**–

(i) इनका कार्यालय संबंधित अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल कार्यालय परिसर/भवन में होगा ।

इनके कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

(ii) इनके नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे ।

(iii) इनके कार्यों की नियमित समीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी ।

(iv) इनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के प्रतिवेदक पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, समीक्षी पदाधिकारी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त होंगे एवं स्वीकरण पदाधिकारी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना होंगे ।

2. **अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी**–

(i) इनका कार्यालय संबंधित समाहरणालय परिसर/भवन में होगा ।

(ii) जिला में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के सफल कार्यान्वयन हेतु अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे । लोक शिकायत निवारण से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन जिला स्तर पर इनके द्वारा किया जायेगा ।

(iii) इनके नियंत्री पदाधिकारी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त होंगे ।

(iv) इनके कार्यों की नियमित समीक्षा संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा की जाएगी ।

(v) इनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक पदाधिकारी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त होंगे, समीक्षी पदाधिकारी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा स्वीकरण पदाधिकारी मुख्य सचिव, बिहार होंगे ।

3. **विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी–**

(i) इनका कार्यालय संबंधित विभाग हेतु आवंटित परिसर/भवन में होगा । इनके लिए कार्यालय, कर्मियों एवं अन्य आधारभूत सुविधायें संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

(ii) इनके नियंत्री पदाधिकारी अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना होंगे ।

(iii) विभागीय स्तर पर लोक शिकायत निवारण के कार्यों के सफल कार्यान्वयन हेतु अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना नोडल पदाधिकारी होंगे ।

(iv) इनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक पदाधिकारी अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना होंगे, समीक्षी पदाधिकारी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं स्वीकरण पदाधिकारी मुख्य सचिव, बिहार होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–12/वि0–5212/2016–सा0प्र0– 9090 /पटना, दिनांक– 28-6-16

प्रतिलिपि–अपर निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सभी अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/सभी विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

25-6-16